# जारी डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

वीरो उर्फ जसवीर कौर बनाम तेजो आदि
धारा अन्तर्गत 53,88 आरटीए मुकदमा नं0 60/2019

**निर्णय दिनांक :- 23.06.2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री जसकरण गोदार व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अशोक जोशी** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादिया का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 43/45, 44/44 के मु.न. 51, 59, 49 की कुल 15.810 हैक्ट. नहरी भूमि में वीरो, तेजो, छिन्दो पिसरान गुरदयाल सिंह के नाम दर्ज कुल 9.488 हैक्टर नहरी भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

1. **वीरो उर्फ जसवीर कौर पुत्री गुरदयाल सिह पत्नि बलविन्द्र सिंह जटसिख निवासी 44 जीजी का हिस्साः-**

चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 44/44 के मु.न. 49 के किला न. 1 ता 14 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 15 की 0.147 हैक्टर (उतरी) कुल 3.689 हैक्टर नहरी भूमि।

2. **तेजो पुत्री गुरदयाल सिह पत्नि गुरदेव सिंह जटसिख निवासी आजमवाला तहसील फाज्लिका का हिस्साः-**

चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 44/44 के मु.न. 49 के किला न. 15 में 0.106 हैक्ट., किला न. 16 ता 21 प्रत्येक सालम-सालम, व इसी चक के खाता संख्या 43/45 के मु.न. 59 के किला न. 4,7,14,17,18,23,24 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 13 की 0.127 हैक्टर, किला न. 25 की 0.168 हैक्टर दोनो खातो की कुल 3.690 हैक्टर नहरी भूमि।

3. **छिन्दो पुत्री गुरदयाल सिह पत्नि जरनैल सिंह जटसिख निवासी आजमवाला तहसील फाज्लिका का हिस्साः-**

चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 44/44 के मु.न. 49 के किला न. 22 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम, व इसी चक के खाता संख्या 43/45 के मु.न. 59 के किला न. 5,6,15,16 प्रत्येक सालम-सालम, किला न. 25 की 0.085 हैक्टर दोनो खातो की कुल 2.109 हैक्टर नहरी भूमि।

राजीनामा अनुसार मु.न. 49 के किला न. 5, 6, 15, 16 के पूर्वी मेड के साथ-साथ उतर से दक्षिण दिशा में 1-1 बिस्वा रास्ता आवागमन के लिए खाली छोडा जावेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। **उक्त दोनों खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे, खातेदार द्वारा आहरित ऋण उन्हें विभाजन में प्राप्त भूमि पर अन्तरित होकर उस खाता में रहन दर्ज किया जावे।**

आज दिनांक 24/06/2020 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(मूलचन्द लूणिया **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 02 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 500 | 00 | मेहनताना वकली पर | 00 | -- |
| योग | 504 | 00 | योग | 04 | 00 |

(मूलचन्द लूणिया **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांकः 24/06/2020

क्रमांकः राजस्व/ 2020/ 183-184
प्रतिलिपिः 1. तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्री करणपुर को सूचनार्थ प्रेषित।